चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 76वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : कृषि उत्पादन आयुक्त समिति कक्ष, लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2:45 बजे

दिनांक: 01-2-1990

उपस्थिति :

1- श्री एस0एस0 अहमद, कुलपति - अध्यक्ष

2- सचिव कृषि (श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन उपस्थित हुये) - सदस्य

3- डा0 कृष्ण राम शर्मा, कृषि निदेशक, उ0प्र0 । - सदस्य

4- डा0 राम जनम सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 । - सदस्य

5- श्री अवध राम सचान - सदस्य

6- डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी - सदस्य

7- श्री एस0पी0 सिन्हा, अर्थ नियन्त्रक - सचिव

76:1 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 72वीं बैठक दिनांक 24-7-89 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

76:2 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 73वीं बैठक दिनांक 24-7-89 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

76:3 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 74वीं बैठक दिनांक 6-1-90 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

76:4 कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4-11-1989 को इस विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के सम्बन्ध में हुयी बैठक के कार्यवृत्त की सूचना एवं तदनुसार कार्यवाही का प्रस्ताव ।

(अ) दिनांक 4-11-1989 के कार्यवृत्त का प्रस्तर-1

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 4-11-1989 को हुयी बैठक में किये गये विचार विमर्श एवं निर्णयों से कुलपति ने प्रबन्ध मण्डल को विस्तृत रूप से अवगत कराया । तदर्थ नियुक्तियां न किये जाने के सम्बन्ध में भी कुलपति ने अवगत कराया कि शासन ने अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या-20/12-8-400(40)/1989 दिनांक 4 मार्च,1989 जारी करके समस्त प्रकार की नियुक्तियों को बिना शासन की पूर्व अनुमति के न किये जाने का प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसमें इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां भी आती है । अतएव विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिसूचना के प्रभावी रहते इस प्रकार नियुक्तियां की ही नहीं जा सकती है ।

प्रबन्ध मण्डल ने समस्त तथ्यों से अवगत होने पर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार तदर्थ नियुक्तियां भविष्य में न की जायं ।

(ब) दिनांक 4-11-1989 के कार्यवृत्त का प्रस्तर-2

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 4-11-1989 को हुयी बैठक में किये गये विचार विमर्श एवं निर्णयों से कुलपति ने प्रबन्ध मण्डल को विस्तृत रूप से अवगत कराया जिस पर प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिया:-

1- प्रत्येक प्रक्षेत्र की समस्त भूमि को चार भागों में विभाजित कर दिया जाय । (शोध कार्य का क्षेत्र (प्रदर्शन भी इसमें शामिल होंगे), व्यवसायिक कार्यों का क्षेत्र, फार्म के अन्य कार्य में उपयोग किये जाने वाला क्षेत्र (धार,दाना,भवन, सड़के,खलिहान आदि) तथा वह क्षेत्र जो किसी कार्य में प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

2- प्रक्षेत्र के शोध कार्य का क्षेत्र शोधकर्ता योजनाओं के प्रभारी शोध वैज्ञानिकों के नियन्त्रण में रहेगा तथा शेष समस्त क्षेत्र उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के नियन्त्रण मे रहेगा * और

ये दोनों नियन्त्रण अधिकारी (स्कीम इंचार्ज तथा उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) प्रक्षेत्रों पर समस्त लेखों एवं वित्तीय नियन्त्रण के लिये अर्थ नियन्त्रक के प्रति उत्तरदायी होंगे। स्कीम इंचार्ज शोध की उपज का लेखा जोखा उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) को भी प्रस्तुत करेंगे और उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) व्यवसायिक तथा शोध के क्षेत्रों की उपज का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार करेंगे। इन कार्यों में लेखों का सही रख-रखाव हेतु विश्वविद्यालय के बीज विधायन संयन्त्र भी उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के नियन्त्रण में रहेंगे।

3- उप निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र) समस्त फार्मों का बजट तैयार करेंगे और इस बजट में फार्मों का क्षेत्र (शोध एवं व्यवसायिक क्षेत्र, फार्मों के कार्यों में प्रयोग का क्षेत्र तथा किसी कार्य में प्रयोग न होने वाले क्षेत्र) को अलग-अलग दिखाया जायेगा तथा इनकी उपज, आय, शुध्द आय आदि सभी मद अलग-अलग दिखायें जायेंगे।

4- व्यवसायिक क्षेत्रों में अपेक्षित उपज न होने पर प्रक्षेत्र अधीक्षक उत्तरदायी माने जायेंगे। कोई दैवी प्रकोप या अन्य किसी औचित्य जिसमें उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) भी सहमत होंगे को छोड़कर)। फार्मों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से यदि कम आय प्राप्त होती है तो आय से अधिक धनराशि व्यय हेतु नहीं दी जायेगी जब तक कि आय कम होने का दैवी प्रकोप या कोई ऐसा कारण जिसमें उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) भी सहमत हो।

5- प्रक्षेत्र अधीक्षकों की अनियमिततायें पायी जाने, उपज का अपेक्षित लाभ न पूरा करा पाने, फार्मों का लेख -जोखा सही न रखने, फार्म के साधनों का दुरूपयोग करने, मितव्ययता न किये जाने तथा उप निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र) एवं अर्थ नियन्त्रक को वांछित सूचना एवं अपेक्षित सहयोग न देने पर तुरन्त स्थानान्तरित तो कर ही दिया जायेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही भी की जायेगी। प्रक्षेत्र अधीक्षकों उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के नियन्त्रणाधीन रहेंगे और उनके स्थानान्तरण आदि की कार्यवाही उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) तथा अर्थ नियन्त्रक की सहमति/रिपोर्ट पर कुलपति द्वारा किये जायेंगे।

-4

6- फार्मों की उपज बढ़ाने एवं अन्य सभी कार्यों को और बेहतर ढंग से सम्पादित कराने हेतु उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), वेतनमान रु० 3000-4500 के कार्यकलापों को बढ़ाने के साथ-साथ इस पद एवं पदधारी को निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), वेतनमान रूपया 3825-125-4700-150-5600 में प्रोन्नत ([illegible]) करने पर प्रबन्ध मण्डल ने अपनी सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की कि अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार जो थोड़ा भी होगा, विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से वहन करेगा ।

7- विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(4) तथा परिनियमों के अध्याय एक 28-सी (1) के प्राविधानानुसार कार्य के समस्त लेखों तथा वित्तीय नियन्त्रण आदि के लिये सम्बन्धित समस्त अधिकारी/कर्मचारी अर्थ नियन्त्रक के प्रति उत्तरदायी होंगे/ [illegible] तथा जैसा कि प्रस्तावित था, कम्पट्रोलर को लेखा अधिकारियों एवं अधिकारियों पर और प्रभावी नियन्त्रण हेतु कुछ अतिरिक्त अधिकार दिये जाने सम्बन्धी कुलपति द्वारा जारी आदेश संख्या-सीएफ/पीसी-323 दिनांक 27 अप्रैल, 1989 पर प्रबन्ध मण्डल ने अपनी सहमति प्रदान की ।

4(डी) <u>दिनांक 4-11-1989 के कार्यवृत्त का प्रस्तर-3</u>

प्रबन्ध मण्डल को इस प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता के दिनांक 4-11-89 की बैठक में हुये विचार विमर्श एवं निर्णय से कुलपति ने विस्तृत रूप से अवगत कराया । प्रबन्ध मण्डल सभी सुझावों एवं कृत कार्यवाही से अवगत होने के पश्चात निर्णय लिया कि पाँच वर्ष से अधिक समय से चली आ रही शोध योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 23-3-89 में उल्लेख की गयी शोध योजनाओं को आठवीं पंच (प्लान क-1) में उल्लेख की गयी शोध योजनाओं को आठवीं पंच वर्षीय योजना में अस्थायित्व ([illegible]) रखा जायेगा । इन शोध योजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं में रिक्त पदों पर समायोजित कर लिया जावे ।

76:5 कृषि विज्ञान केन्द्र, थरियांव जनपद फतेहपुर [उ0प्र0] की स्थापना ।

प्रबन्ध मण्डल ने कृषि विज्ञान केन्द्र, थरियांव जनपद फतेहपुर [उ0प्र0] की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि इस केन्द्र के लिये स्वीकृत पदों को विश्वविद्यालय में चल रही आयोजनेत्तर योजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण से भरे जायेंगे और इसके अतिरिक्त भी यदि पदों को नयी नियुक्तियां करके भरा जाना नितान्त आवश्यक हो तो शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-20/12-6-400 [40]/1989 दिनांक 4 मार्च, 1989 के अनुपालन में कार्यवाही करके भरा जाय ।

76:6 विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन में चिकित्सा भत्ता के रूप में रु0 25/- प्रतिमाह पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को पहले वित्त उप समिति में रखा जाय और उसकी संस्तुतियों के साथ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुन: लाया जाये ।

76:7 विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन अग्रिम दिये जानेके प्रस्ताव पर विचार ।

76:8 प्रबन्ध मण्डल के विचार हेतु पुराने चले आ रहे कुछ मद जिनमें से अधिकांश प्रस्तावों पर कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है ।

(i) Agenda Note for accepting the grant offered by New Chem.Industries Private Ltd.,for Research Project on evaluation of quintex against field rates.

(ii) Agenda Note for accepting the grant offered by M/S National Organic Chemical Industries Ltd., for the Research Project on evaluation of storm against field rates.

(iii) To confirm Doctorate Degree (Honoris causa) at the 3rd Convocation of the University.

(iv) डा0 आर0एस0 वर्मा, वैज्ञानिक/सह प्राध्यापक, डा0 एन0बी0 सिंह, डा0 गनेश राम गुप्ता, श्री मनमोहन प्रसाद यादव, डा0 श्यामसिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक के वेतन संरक्षण [प्रोटेक्ट] के प्रस्ताव पर विचार ।

(v) डा0 महेश पाल, सह निदेशक [एन0ए0आर0पी0] के वेतन संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार ।

(vi) शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिये जारी मुख्य-मुख्य शासनादेशों/अधिसूचनाओं की सूचना ।

--6

(vii) विश्वविद्यालय के पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग में सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यरत श्री बाबू लाल खाँ का नाम परिवर्तित करके श्री बाबू लतीफ खाँ करने के प्रस्ताव पर विचार।

(viii) डा० आर०पी० सिंह द्वारा एसोसियेट डाइरेक्टर(एन०ए०आर०पी०), भरारी(झांसी), वेतनमान रु० 1500-2500 के पद से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

(ix) डा० जी०पी० लोधी, सीनियर साइंटिस्ट रीडर, डिपार्टमेन्ट आफ प्लान्ट ब्रीडिंग, हरियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार का इस विश्वविद्यालय में चीफ ट्रेनिंग आफिसर, के०वी०के०, भरारी(झांसी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31-12-88 तक समय बढ़ाये जाने पर विचार ।

(x) डा० जी०पी० लोधी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, के०वी०के०, भरारी (झांसी) वेतनमान रु० 1500-2500 को उनके मूल विभाग में वापस जाने हेतु कार्यभार से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

(xi) नव निर्मित कन्या छात्रावास को नामित करने पर विचार ।

(xii) डा० एम०शाबिर, प्रोफेसर फार्माकोलाजी (अवकाश पर) को दिनांक 1-8-89 से 31-7-90 तक एक वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार ।

(xiii) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों/शिक्षकों को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात सेवा में चलते रहने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार ।

(xiv) डा० आर०पी० सिंह, तत्कालीन रीडर पोल्ट्री साइंस के दिनांक 9-7-84 से 8-1-85 तक की अवधि के लिये जाम्बिया सरकार के अधीन ब्राह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर होने की अवधि की स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

(xv) डा० आर०पी० सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस के दिनांक 28-7-89 से 3 वर्ष की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि की स्वीकृति किये जाने पर विचार ।

(xvi) डा० एच०पी० चौधरी, सह प्राध्यापक (भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध) को ब्रिटेन में वर्ष 1988-89 में फारेस्ट्री फैकल्टी डेवलपमेन्ट में 12 माह के प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने क्रमांक 76:7 तथा 76:8 (i) से (xvi) के प्रस्ताव आगामी बैठक के लिये स्थगित कर दिये गये ।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के पश्चात समाप्त होगई ।

(एस०एस०अहमद)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(एच०पी०सिन्हा) 2.2.90
अधि नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल